न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

सीताराम बनाम राज. सरकार
मु.नं. 64/24 (T.R.)

दिनांक 30.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

30.10.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थि. का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर रूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
64 / 2024	30.09.2024	30.10.2025

बउनवान

सीताराम पुत्र हरिया मीना, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..सायल / प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..गैरसायलान / अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 2679 रकबा 3.68 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 2679 रकबा 1.50 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में सायल का कब्जा बुजुर्गान समय से चला आ रहा है। आराजी में सायल ने अपनी पुख्ता बोरिंग कर रखी है तथा विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है जिसमें एक कोटरी भी बना रखी है जिसमें बोरिंग का सामान रखने स्टार्टर आदि रखने के काम में लिया जा रहा है तथा चारा भरने की टीनशेड भी डाली हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी पर सायल का बुजुर्गानी समय से कब्जा चला आ रहा है जिसमें गैरसायलान का कोई सबंध किसी प्रकार का नहीं है। उसके बावजूद भी गैरसायलान अपने प्रतिनिधियों पटवारी हल्का आदि को भेजकर मुझ सायल को परेशान करते रहते है। सायल को उक्त भूमि उसके पिता हरिया से विरासत में मिली है। उससे पहले उक्त भूमि पर उसके पिता हरिया का कब्जा था तथा सायल के पिता की मृत्यु होने के बाद उस पर सायल का कब्जा काश्त लगातार बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है जिसमें वर्तमान में फसल बाजरा की सरसब्ज हालत में खड़ी हुई है। अब चूंकि राजनैतिक द्वेषतावश गैरसायलान सायल की उक्त फसल को नष्ट करने पर आमादा है जिसका उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सायल का उक्त भूमि पर कब्जा बिना किसी अवरोध के 30 वर्ष से अधिक समय से होने के कारण सायल उक्त भूमि का खातेदार हो चुका है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय खाते में होने से सायल को भारी नुकसान हो रहा है। सायल की खातेदारी को दुरूस्त नही किया गया तों सायल अपने हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित हो जावेगा। सायल बर्बाद हो जावेगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी। बिनाय दावा दिनांक 09.09.2024 का है कि सायल अपने कब्जेशुदा आराजी पर था कि अचानक गैरसायलान के प्रतिनिधि मौके पर आये और कहने लगे कि आप द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस कारण अब तुम्हें हम बेदखल करेगें तथा तुम्हारे द्वारा बोई गयी फसल को नष्ट करके छोडेगे। सायल ने उनसे हाथ जोड कर ऐसा नहीं करने को कहा लेकिन वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुये तथा धमकी देकर चले गये। गैरसायलान अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। सायल वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो गैरसायलान अपनी धमकी में सफल हो जावेगें जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि सायल के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2679, रकबा 1.50 हैक्टे. वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में सायल के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी गैरसायलान स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधियों से नही करावें तथा उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से अन्य के नाम ना तो आवंटन करे और ना ही उसकी किस्म को ही परिवर्तित ही करें। सायल को बेदखल भी नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट अनुसार, आराजी खसरा सं. 2679, रकबा 3.68 हैक्टे. भूमि ग्राम बालाहेडा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पूर्व में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी। वर्तमान में उक्त आराजी को कृषि महाविद्यालय बालाहेडा के लिए आवंटित भूमि की चारागाह की क्षतिपूर्ति के तहत नामा. सं. 1002 के जरिये चारागाह दर्ज किया जा रहा है। वादी द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा होना अंकित किया है जबकि वादी को उक्त आराजी से धारा 91 की कार्यवाही के तहत बेदखल कर दिया है। उक्त आराजी 2679 चारागाह दर्ज रिकॉर्ड प्रक्रियाधीन होने के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कृषि महाविद्यालय बालाहेडा के लिए आवंटित भूमि की चारागाह क्षतिपूर्ति हेतु नामांतकरण प्रभावित होता है।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजी का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादी वाद पत्र के जरिये खसरा संख्या 2679 में स्वयं का कब्जा बताते हुए कब्जे के आधार पर वर्तमान नक़्शे में दुरुस्ती बाबत अनुतोष चाहता है जिसका निर्धारण वाद पत्र में साक्ष्य के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना संभव हो सकेगा। विवादित आराजी बाबत तहसीलदार बैजुपाडा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 2679, रकबा 3.68 हैक्टे. भूमि ग्राम बालाहेडा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पूर्व में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी। वर्तमान में उक्त आराजी को कृषि महाविद्यालय बालाहेडा के लिए आवंटित भूमि की चारागाह की क्षतिपूर्ति के तहत नामा. सं. 1202 के जरिये चारागाह दर्ज किया जा रहा है। वादी द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा होना अंकित किया है जबकि वादी को उक्त आराजी से धारा 91 की कार्यवाही के तहत बेदखल कर दिया है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस कारण इस स्तर पर अप्रार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से प्रार्थी को क्षति नहीं होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज